न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारी :– धारा सिंह मीणा (आर.ए.एस.)

पत्रावली संख्या–09 / 2019 प्रार्थना पत्र जागीर

बनवारीलाल पुत्र हनुमानदास जाति हिन्दू ब्राहमण निवासी गनेड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

प्रार्थीगण

बनाम

हर आम व खास

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत प्रपत्र 12 ए संशोधित किये जाने ।

वकील प्रार्थी श्री हरीश मिश्रा

निर्णय **दिनांकः– 12.10.2021**

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि मुर्ति मन्दिर श्री सीतारामजी गनेडी तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर में अवस्थित है, जिनके पुजारी श्री हनुमानदास चेला रामदेवदास रहने से उनके द्वारा सेवा–पूजा की जाती रही है, जिनकी मृत्यु हो जाने के उपरान्त उनके शिष्य प्रार्थी बनवारीलाल द्वारा सेवा पुजा की जाती रही है। रामदेवदास की मृत्यु होने पर प्रार्थी स्वयं चेला / शिष्य होने से एवं श्री हनुमानदास की मृत्यु हो जाने के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में मंदिर श्री सीतारामजी गनेडी के पुजारी के रूप में सेवा–पुजा करता आ रहा है। मन्दिर श्री सीतारामजी, गनेडी तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर के पुजारी श्री हनुमानदासजी की मृत्यु होने पर प्रार्थी उनका शिष्य / चेला होने से उनके उत्तराधिकारी के रूप में मुर्ति मन्दिर श्री सीतारामजी, गनेडी के पुजारी के रूप में आसीन होकर सेवा–पुजा करते रहे, दिनांक 24.09.1997 को मृत्यु हो चुकी है, प्रार्थी उनका पुत्र एवं उत्तराधिकारी होने से उनके शिष्य एवं उत्तराधिकारी के रूप में मुर्ति मंदिर श्री सीतारामजी, गनेडी का पुजारी आसीन होकर सेवा–पूजा करता आ रहा है। आयुक्त, देवस्थान राजस्थान उदयपुर के Annuity रजिस्टर जिला सीकर के गनेडी तहसील लक्ष्मणगढ में मुर्ति मन्दिर श्री सीतारामजी, गनेडी का नाम दर्ज होकर पुजारी के रूप में श्री हनुमानदास चेला रामदेवदास दर्ज है, उक्त श्री हनुमानदासजी की मृत्यु हो जाने के बाद से प्रार्थी उनका शिष्य / चेला होने के कारण मुर्ति मंदिर की पुजा–अर्चना करता चला आ रहा है इस कारण प्रार्थी श्री हनुमानदासजी के स्थान पर स्वयं का नाम अंकित कराने का अधिकारी होने से आवेदन स्वीकार किया जाकर श्री हनुमादास के स्थान पर प्रार्थी का नाम अंकित कर प्रपत्र 12(A) जारी किया जाना उचित एवं आवश्यक है। आयुक्त, देवस्थान राजस्थान उदयपुर के Annuity रजिस्टर में जिला सीकर के जागीर गनेडी तहसील लक्ष्मणगढ में अंकनानुसार उक्त मन्दिर श्री सीतारामजी, गनेडी को देय Annuity राशि का क्रमांक 125, File No. F(9)40/Das/Dev/64/Sikar जागीर गनेडी तहसील लक्ष्मणगढ मन्दिर श्री सीतारामजी, पुजारी हनुमानदास चेला रामदेवदास क्लेम संख्या 67/LJR राशि 133 रूपये 60 पैसे स्वीकृत कर तदनुसार प्रपत्र 12(B) जारी किया गया, जिसकी फोटोप्रति संलग्न है, उक्त प्रमाण पत्र के अनुसार स्वीकृत Annuity (वार्षिक वृत्ती) राशि मन्दिर श्री सीतारामजी, गनेडी की ओर से श्री रामदेवदासजी प्राप्त करने के अधिकारी होने से तथा उक्त श्री रामदेवदासजी तथा उनके शिष्य श्री हनुमानदासजी की मृत्यु हो जाने से उत्तराधिकारी के रूप में पुजारी प्रार्थी रहने के कारण प्रार्थी के पक्ष में प्रपत्र 12(A) जारी कर स्वीकृत बकाया Annuity (वार्षिक वृत्ती) राशि प्रार्थी को

दिलवाया जाना उचित एवं आवश्यक है। अतः आवेदन स्वीकार किया जाकर मन्दिर श्री सीताराम जी गनेड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ के पुजारी श्री हनुमानदास जी के स्थान पर प्रार्थी का नाम अंकित कर तदनुसार प्रपत्र 12(A) जारी किया जाकर स्वीकृत बकाया Annuity (वार्षिक वृत्ती) राशि प्रार्थी को दिलवाया जाना प्रार्थनीय है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर उज्रदारी नोटिस एक माह का जारी किया गया। नोटिस पर किसी प्रकार का ऐतराज नही आया तथा प्रार्थी की ओर से वकील श्री हरिश मिश्रा ने वकालतनामा पेश किया तथा साक्ष्य के रुप में बनवारीलाल पुत्र/चेला हनुमानदास, झुमरमल पुत्र लिछमणराम, दुर्गादत पुत्र सुरजमल, मांगीलाल पुत्र रामेश्वरलाल एवं पन्नालाल पुत्र मानीराम निवासीगण ग्राम गनेड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ के शपथ पत्र पेश किये। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रपत्र 12बी की फोटो प्रति पेश की, जिसके क्लेम नम्बर 67 एलजेआर में मन्दिर श्री सीतारामजी पुजारी हनुमानदास चेला रामदेवदास अंकित है। प्रार्थी ने आवेदन के सलंग्न सरपंच ग्राम पंचायत गनेड़ी द्वारा मन्दिर श्री सीतारामजी वाके ग्राम गनेड़ी की सेवा पूजा का कार्य श्री बनवारीलाल द्वारा किये जाने का प्रमाण पत्र की प्रति पेश की गई। तहसीलदार धोद से रिपोर्ट ली गई। बहस सुनी गई।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पूर्व पुजारी हनुमानदास चेला रामदेवदास की मृत्यु दिनांक 24.09.1997 को हो चुकी है, जिसके नाम से मन्दिर श्री सीतारामजी के पुजारी हनुमानदास चेला रामदेवदास को घोषित किया हुआ है तथा प्रपत्र 12बी क्लेम संख्या 67 एलजेआर राशि 133.60 पैसे का जारी किया हुआ है। उक्त समस्त राशि मन्दिर श्री सीतारामजी के नाम से स्वीकृत है। उज्रदारी नोटिस जारी किये जाने के पश्चात किसी भी प्रकार की आपति नही आई है तथा सरपंच ग्राम पंचायत गनेड़ी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी उक्त मन्दिर की सेवा पूजा प्रार्थी बनवारीलाल दत्तक पिता हनुमानदास द्वारा करना अंकित किया है। तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 10.03.2021 में अंकित किया गया है कि मन्दिर श्री सीतारामजी के पूर्व पुजारी हनुमानदास चेला रामदेवदास की मृत्यु दिनांक 24.09.1997 को हो चुकी है। उनकी मृत्यु के पश्चात् मन्दिर श्री सीतारामजी की सेवा पूजा का काम उनके दत्तक पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राहमण निवासी गनेड़ी द्वारा ही लगातार किया जा रहा है। अतः मृतक पुजारी हनुमानदास चेला रामदेवदास के स्थान पर बनवारीलाल दत्तक पुत्र हनुमानदास को पुजारी/व्यवस्थापक घोषित किये जाने बाबत अंकित किया है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः

आज्ञा है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मन्दिर श्री सीतारामजी गनेड़ी के पुजारी हनुमानदास चेला रामदेवदास की मृत्यु उपरान्त बनवारीलाल पुत्र हनुमानदास जाति ब्राहमण निवासी गनेड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के नाम से संशोधित प्रपत्र 12ए जारी होकर आयुक्त, देव स्थान विभाग,उदयपुर (राजस्थान) व सम्बन्धित को प्रति भिजवाई जावे। फार्म 12ए में इस प्रकार का नोट लगाया जावे कि यह वार्षिक वृति प्राप्त करने हेतु ही मान्य होगा। राजस्व रिकार्ड में मूर्ति मन्दिर की भूमि की खातेदारी में नाम अंकन हेतु मान्य नही होगा। भूमि मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में ही रहेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(धारा सिंह मीणा)
अति० जिला कलेक्टर, सीकर